

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934

No. 132]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सा.का.नि. 166(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 5 के साथ पठित कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 16 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि राष्ट्रीय बनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद द्वारा जीव-नाशकजीवमार की भावत केंद्रीय कीटनाशी के निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे, अर्थात् :—

- केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उसको अधिनियम के अधीन भेजे गए जीव-नाशकजीवमार के ऐसे नमूनों का विश्लेषण करना और संबंध प्राधिकारी को विशेषण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना;
- अधिनियम के उपबंधों के अधीन रसायनिक पदार्थों के लिए जीव-नाशकजीवमार के नमूनों का विश्लेषण करना;
- ऐसे परप रजिस्ट्रीकरण अन्वेषण करना जो नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;
- रजिस्ट्रीकृत जीव-नाशकजीवमार के प्रभावकारिता और विषाक्तता का अवधारण करना।

[फा. सं. 17-6/2006-पी.पी. 1]

उत्पल कुमार सिंह, संपुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2013

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to Section 16 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), read with rule 5 of the Insecticides Rules, 1971, the Central Government hereby directs that the following functions of the Central Insecticides Laboratory in respect of bio-pesticides shall be carried out by National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, namely :—

- to analyse such samples of Bio pesticides sent to it under the Act by any officer or authority authorized by the Central or State Governments and submission of certificates of analysis to the concerned authority;
- to analyse samples of Bio pesticides for chemical substance under the provisions of the Act;
- to carry out such post registration investigations as may be necessary for the purpose of ensuring the conditions of Registration of Pesticides;
- to determine the efficacy and toxicity of registered Bio pesticides.

[F. No. 17-6/2006-P.P. 1]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.